प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग।
चंडीगढ़

प्रेषित

सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य के

क्रमांक न0: 3995- 4016/JD(AE) दिनाक: 27.03.2020.

विषय: COVID -19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण / प्रसार की रोकथाम के मद्देनज़र रखते हुए -फसल कटाई के लिए दिशा-निर्देश।

उपरोक्त विषय पर, जैसा कि आप जानते हैं कि COVID-19 हमारे देश में तेजी से फैल रहा है और अपने तीसरे चरण में प्रवेश करने जा रहा है जोकि बहुत चिंता का विषय है। इस खतरे के प्रसार को रोकने के लिए देश में पूरी तरह से लॉक-डाउन लागू किया जा चुका है। जैसा कि विभिन्न फसलों की कटाई का काम शीघ्र ही शुरू हो रहा है अथवा प्रगति पर है, कटाई में लिप्त लोगों की सुरक्षा के लिए और इस घातक वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जा रहे है :

1. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अधिकतम क्षेत्र में कटाई कृषि यंत्रों के प्रयोग द्वारा ही की जाए। हाथ से कटाई अंतिम विकल्प होगा।
2. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कृषि मशीनरी के संचालक स्वयं को और कृषि मशीनरी को खेत में प्रवेश करने से पहले सैनिटाइज़ करें ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण की सम्भावना को रोका जा सके। मैनुअल कटाई के मामले में उपकरण को सैनिटाइज़र / साबुन से दिन में कम से कम 3-5 बार साफ करना चाहिए। एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का उपयोग अन्य द्वारा नहीं किया जाए।
3. कटाई के दौरान व्यक्तियों में परस्पर दूरी का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, उदाहरण के तौर पर भोजन करते समय व्यक्तियों के बीच कम-से-कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने बर्तनों इत्यादि को अलग रखना चाहिए और उपयोग के बाद साबुन तथा पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए।
4. प्रत्येक कंबाइन हार्वेस्टर (सेल्फ प्रोपेल्ड) का संचालन 2 से 5 व्यक्तियों से अधिक द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।

5. कटाई के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले कपडों को बिना धोए / सुखाए दोबारा नहीं पहना जाना चाहिए।

6. प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग से पीने के पानी और अन्य खाने की वस्तुओं की व्यवस्था होनी चाहिए ।

7. कटाई के दौरान मास्क व दस्तानों का उपयोग किया जाना चाहिए। हार्वेस्टर के सिर को भी ठीक से कवर किया जाना चाहिएं।

8. हार्वेस्टर को उनके परेशानी-मुक्त तथा अवरोध मुक्त संचालन के लिए जरुरी पास जारी किए जाने चाहिए।

9. हार्वेस्टर्स को आपातकालीन स्थितियों के लिए स्वास्थ्य कर्मियों / पुलिस की हेल्पलाइन नंबर प्रदान किया जाने चाहिए।

10. बुखार, सिरदर्द / शरीर में दर्द / सर्दी / खांसी के लक्षण वाले व्यक्ति को कार्य स्थल से तुरंत दूर रखते हुए नजदीकी स्वास्थ्य अधिकारी को इस संबंध में सूचित किया जाना चाहिए।

11. थ्रेसिंग ऑपरेशन के दौरान भी उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

12. अंत में यह महतवपूर्ण है कि कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई किये गए खेतों के फसल अवशेषों मे आग नहीं लगनी चाहिए क्योकि इससे प्रदूषण के साथ-साथ स्वास्थ्य सम्बंधित विभिन्न समस्याए भी उत्पन्न होती है। फसल अवशेष मे आग लगाना एक अपराध है तथा प्रदुषण अधिनियम के अंतर्गत निषेध है। गेहूँ की फसल के अवशेष मुख्यतः चारा में प्रयोग होता है और इनको जलाने से पशुओं के लिए चारे की कमी हो जाती है।

13. आवश्यक मशीनों की मुरम्मत और वितरण (कटाई / थ्रेसिंग) के लिए लॉक-डाउन के दौरान छूट दी जानी चाहिए।

उपरोक्त निर्देशों का सख्ती से पालना की जाएं ।

27.03.2020

संयुक्त निदेशक (कृ० अ०)
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग।

CC:
PS to CS
सभी उप निदेशक कृषि तथा किसान कल्याण विभाग